[2019] 6 एस. सी. आर. 1059

मैसर्स ट्रिमेक्स सैंड्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 4283)
25 अप्रैल, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तियाँ]

निर्णय/आदेश - गलत जानकारी के आधार पर व अधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान - प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (भारत संघ और अन्य) के खिलाफ रिट याचिका दायर कर दिनांक 30.06.2016 के आदेश (दिनांक 06.07.2016 को अधिसूचित) को चुनौती दी - भारत संघ के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.06.2016 के आदेश को रद्द कर दिया - अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की - उस लंबित अपील में, भारत संघ ने निर्देशों के लिए अंतरिम आवेदन (आई. ए.) दायर किया - आई. ए. में कहा गया था कि अधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान संबंधित अधिकारी द्वारा उन्हें दी गई गलत जानकारी के आधार पर था – अभिनिर्धारित किया गया : भारत संघ द्वारा अब उठाए गए आधारों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया और भारत संघ के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर इसका निपटारा किया, जो गलत जानकारी पर आधारित था - सभी संबंधित पक्षों के हित में, रिट याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर इसका फिर से निपटारा करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को प्रतिपेषित कर दिया गया।

अंतरिम आवेदन (आई. ए.) और अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि: 1. प्रस्तुतियों के दौरान, यह बताया गया है कि 2018 के डब्ल्यू. पी. संख्या. 7537 के नेतृत्व में याचिकाओं के एक अन्य समूह में (मैसर्स स्टैंडर्ड मेटालॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ), उच्च न्यायालय ने 06.02.2019 पर एक विस्तृत आदेश पारित किया और गुण-दोष पर दिनांक 30.06.2016 के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया। जो भी हो, इस न्यायालय को मामले के किसी अन्य पहलू में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से इस आधार पर वापस सुनवाई की मांग की गई है कि उक्त रिट याचिका में भारत संघ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता द्वारा गलत बयान दिया गया था, जिसके कारण इसका गलत तरीके से निपटारा किया गया था। उसमें यह कहा गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा उसे दी गई गलत जानकारी के आधार पर अधिवक्ता द्वारा ऐसा बयान दिया गया था। [पैरा 12] [1062-सी-ई]

2. भारत संघ द्वारा अब उठाए गए आधारों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया, बल्कि भारत संघ के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर इसका निपटारा किया, जो गलत जानकारी पर आधारित था, यह न्यायसंगत और उचित होगा और सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा कि रिट याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की जाए और उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार इसके गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा किया जाए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर रिट याचिका (2016 की संख्या 5734), जिसमें से यह अपील उद्भूत होती है, को उच्च न्यायालय के समक्ष अपने मूल संख्या पर बहाल कर दिया जाता है।[पैरा 15 और 16] [1062-जी-एच; 1063-ए-बी]

मेसर्स स्टैंडर्ड मेटालॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ **(दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की डब्ल्यू. पी. संख्या. 7537 में 06.02.2019 को निर्णय लिया गया) - संदर्भित।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 4283

2016 की डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 5734 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.11.2017 से |

दुष्यंत दवे, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिरुद्ध देशमुख, निखिल गोयल, अधिवक्तागण - अपीलार्थियों के लिए।

ध्रुव गौतम, सुश्री नेहा अग्रवाल, जसमीत सिंह, कुमार परिमल, सरद कुमार सिंघानिया, गुरमीत सिंह मक्कर, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण – प्रतिवादीयों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई |

2. यह अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या.5734 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 09.11.2017 के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (भारत संघ और अन्य) के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 3 (उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता) द्वारा दायर उक्त रिट याचिका का निपटारा किया और दिनांक 30.06.2016 के आदेश (दिनांक 06.07.2016 को अधिसूचित) को अपास्त कर दिया।

3. 2018 की आई. ए. संख्या.16352 पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

4. यह भारत संघ द्वारा खान मंत्रालय के अवर सचिव के माध्यम से उचित निर्देशों और अपील के निपटारे के लिए किया गया एक आवेदन है।

5. उक्त आवेदन के निपटारे के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है और साथ ही अपील का भी, जिसमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

6. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 (उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता) द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (भारत संघ और अन्य) के खिलाफ दायर 2016 की रिट याचिका संख्या.5734 का निपटारा किया।

7. उक्त रिट याचिका में रिट याचिका के प्रतिवादीयों, यानी भारत संघ द्वारा अपने संबंधित मंत्रालय के माध्यम से जारी किए गए दिनांक 30.06.2016 के आदेश (दिनांक 06.07.2016 को अधिसूचित) को चुनौती दी गई थी।

8. यह विवाद में नहीं है कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.11.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया और दिनांक 30.06.2016 के आदेश को अपास्त कर दिया, जिसे भारत संघ की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर रिट याचिका में आक्षेपित किया गया था।

9. दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने भारत संघ की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के अवलोकन के विवाद के गुण-दोष पर रिट याचिका पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं समझा। निम्नलिखित उद्धृत आक्षेपित आदेश के पैरा 9 और 10 से यह स्पष्ट है:

> **"9. उनके उपरोक्त बयान को ध्यान में रखते हुए, 06.07.2016 पर अधिसूचित दिनांक 30.06.2016 के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया है। प्रतिवादी कानून के अनुसार दिनांक 05.04.2011 के आदेश के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस के अनुदान की प्रक्रिया के लिए आगे कदम उठाएंगे।**
>
> **10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और उपरोक्त आदेश केवल उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए बयान के आधार पर पारित किया गया है।"**

10. यह वह आदेश है, जिसे अब अपीलार्थी द्वारा अपील करने के लिए वर्तमान विशेष अनुमति की याचिका दाखिल करके आक्षेपित किया गया है। चूंकि अपीलकर्ता रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वर्तमान अपील में आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए वर्तमान विशेष याचिका दायर करने के लिए अनुमति मांगी |

11. विचाराधीन आवेदन (आई. ए. संख्या.16352/2018) में न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि भारत संघ (रिट याचिका के उत्तरदाताओं) ने रिट याचिका संख्या.5734/2016 में पारित किए गए आक्षेपित आदेश दिनांक 09.11.2017 के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका (103/2018) दायर की है, जो अब अपील करने के लिए वर्तमान विशेष अनुमति का विषय है, जिसमें दिनांक 09.11.2017 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। पुनरीक्षण याचिका लंबित है।

12. प्रस्तुतियों के दौरान, यह भी बताया गया है कि 2018 के डब्ल्यू. पी. संख्या.7537 के नेतृत्व में याचिकाओं के एक अन्य समूह में (मेसर्स स्टैंडर्ड मेटालॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ), उच्च न्यायालय 06.02.2019 को एक विस्तृत आदेश पारित किया और गुण-दोष के आधार पर दिनांक 30.06.2016 के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया। जो भी हो, हमें मामले के किसी अन्य पहलू में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से इस आधार पर वापस लेने की मांग की गई है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा गलत बयान दिया गया था, जो उक्त रिट याचिका में भारत संघ की ओर से पेश हुए थे, जिसके कारण इसका गलत तरीके से निपटारा किया गया था। इसमें कहा गया है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबंधित अधिकारी द्वारा उन्हें दी गई गलत जानकारी के आधार पर बयान दिया गया था।

13. इसलिए एक प्रार्थना की जाती है कि क्योंकि अपील के लंबित रहने के दौरान और आक्षेपित आदेश के पारित होने के बाद भी कुछ घटनाएं हुई हैं, इसलिए इस अपील का निपटारा बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

14. हालांकि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता और विशेष रूप से मूल रिट याचिकाकर्ता (यहाँ प्रतिवादी संख्या 3) के विद्वान अधिवक्ता ने विचाराधीन आवेदन का विरोध किया और गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का आग्रह किया, लेकिन पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के पूरे अभिलेख के अवलोकन पर, हम इस अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं, आक्षेपित आदेश को अपास्त कर देते हैं और 2016 की रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष इसकी मूल संख्या में बहाल कर देते हैं।

15. हमारी राय में, भारत संघ द्वारा अब उठाए गए आधारों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया, बल्कि भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर इसका निपटारा किया, जो गलत जानकारी पर आधारित था, हम इसे न्यायसंगत और उचित मानते हैं और सभी संबंधित पक्षों के हित में मानते हैं कि रिट याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की जाए और उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार इसके गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा किया जाए।

16. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, भारत संघ (2018 का आई. ए. संख्या. 163521) द्वारा किए गए आवेदन की अनुमति है। नतीजतन, अपील सफल हो जाती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी

संख्या 3 द्वारा दायर रिट याचिका (2016 की संख्या. 5734), जिसमें से यह अपील उद्भूत होती है, उच्च न्यायालय के समक्ष अपने मूल नंबर पर बहाल की जाती है।

17. इस आदेश के प्रकाश में, भारत संघ (संख्या.103/2018) द्वारा दायर समीक्षा याचिका का निपटारा होता है।

18. सभी पक्षों को उपरोक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी दलीलों में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि उच्च न्यायालय कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका का निपटारा कर सके।

19. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उपरोक्त आधारों पर मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए एक राय बनाने के गुण-दोष के आधार पर पक्षों के मामले की जांच नहीं की है और इसलिए, उच्च न्यायालय इस आदेश में गुण-दोष के आधार पर इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना रिट याचिका पर निर्णय लेगा।

अंकित ज्ञान

आई. ए. और अपील की अनुमति दी गई